फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल

श्री लादु पिता सवाईराम कुम्हार निवासी लसाड़िया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा वगैरहा

बनाम

श्री बक्षु पिता हजारी गुर्जर निवासी लसाड़िया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा वगैरहा

किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र मुकदमा नम्बर 78 सन 2018

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
~~02.04~~.2018 28.3.	प्रकरण प्रस्तुत पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील वादी की बहस सुनी गई कि ग्राम लसाड़िया पटवार हलका अमरगढ़ तहसील माण्डल के आराजी नं0 413 रकबा 0.02 बीघा, 414 रकबा 0.01 बीघा तथा 419 रकबा 0.02 बीघा कुल किता 3 रकबा 0.05 बीघा खातेदारी हक से प्रार्थी के नाम दर्ज है जिसका प्रार्थी उपयोग उपभोग कर रहा है जिसमे आराजी संख्या 414 में एक पो बनी हुई है इसी के सटमा विपक्षीगणों की भूमि होने से प्रार्थी की भूमि हड़पने की नीयत से पौ को ढहा दी तथा प्रार्थीगणों को बेदखल करने पर आमादा है। अतः विपक्षीगणों को प्रार्थी के उपयोग उपभोग में दखल नहीं करने तथा ढहाई पौ के निर्माण में बाधा नहीं डालने व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करे। मैनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील वादीगणों की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन वादीगणों के पक्ष का है। यदि वादीगणों को बेदखल किया जाता है तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम लसाड़िया पटवार हलका अमरगढ़ तहसील माण्डल के आराजी नं0 414 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर निर्मित पौ (मवेशियों के पानी हेतु) की मरम्मत में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं किए जाने तथा मौके की यथास्थिति रखने हेतु विपक्षीगणों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तारीख 15.05.2018 तक जारी की जाती है। हुकम इन्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करे। पत्रावली दिनांक 15.05.2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	
25.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प अमरगढ़ मे पेश हुई मूलवाद सं.198/18 मे निर्णय हो जाने से प्रार्थनापत्र मे कार्यवाही ड्रोप की जाती है। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	